प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 353/1991

प्रताप सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

आदेश हेतु दिनांक 30.04.2007 को सूचीद्ध करें।

सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 353/1991

अपीलार्थी - प्रताप सिंह, पिता—शिव चरण सिंह राजपूत, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी—नंबर 03 दफाई कुरासिया, थाना चिरमिरी, जिला सरगुजा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी - मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़), द्वारा थाना चिरमिरी, जिला सरगुजा (छ.ग.)।

....

उपस्थित:

श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।

श्री यू.के.एस. चंदेल, पैनल अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

....

आदेश

(30.04.2007)

(1) यह अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 69/1990 में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़, जिला सरगुजा द्वारा दिनांक 23.03.1991 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उक्त न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 एवं 376 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए क्रमशः 3 वर्ष एवं 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।

(2) संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 14.09.1989 को अपीलार्थी के ससुराल में एक रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें पीड़िता के परिवार को भी आमंत्रित किया गया था। लगभग रात्रि 8 बजे अभियोक्त्री कु. त्रिलोकी, आयु लगभग 8 वर्ष, उक्त भोज

में भोजन कर रही थी। तभी अपीलार्थी उसके पास आया और यह कहकर कि वह उसे मिठाई देगा, उसे बहलाकर अपने घर ले गया तथा उसके साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया। इसके पश्चात उसने अभियोक्त्री को उसके घर के पास छोड़ दिया। अभियोक्त्री ने यह घटना अपने माता-पिता को बताई और अन्य व्यक्तियों को भी इसकी जानकारी दी गई। सभी ने देखा कि अभियोक्त्री के गुप्तांग से रक्तस्राव हो रहा था। इसके बाद उसे थाना ले जाया गया, जहाँ शिकायत (प्र.पी.1) दर्ज की गई। अभियोक्त्री के रक्तरंजित अंतःवस्त्र को भी जब्त किया गया और उसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया। अपीलार्थी को दिनांक 27.11.1989 को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना पूर्ण होने के पश्चात आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और विचारण पूर्ण होने के बाद अपीलार्थी को उपर्युक्तानुसार दोषी ठहराया गया।

(3) अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभियोक्त्री कु. त्रिलोकी (अ.सा.1), उसकी माता गुलाब बाई (अ.सा.2) तथा डॉ. (श्रीमती) पद्मा गुप्ता (अ.सा.3) के साक्ष्य पर आधारित है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वास्तव में अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और केवल उसके कथन, जिसे उसकी माता एवं चिकित्सक के साक्ष्य से समर्थित बताया गया है, के आधार पर की गई दोषसिद्धि विधि विरुद्ध है तथा इसे इस न्यायालय द्वारा अपास्त किया जाना चाहिए।

(5) इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य विश्वसनीय है तथा वह डॉ. पद्मा गुप्ता (अ.सा.3) के चिकित्सकीय साक्ष्य एवं उसकी माता गुलाब बाई (अ.सा.2) के कथन से पूर्णतः समर्थित है, और इन बिंदुओं पर अपीलार्थी द्वारा निर्णय को चुनौती देने की कोई ठोस संभावना नहीं है।

(6) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र न्यायालय के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

(7) अभियोजन साक्षी अ.सा.1 कु. त्रिलोकी के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि उक्त रात्रि में अपीलार्थी ने उससे कहा कि वह उसे मिठाई देगा और इस पर वह अपीलार्थी के साथ

चली गई। अपीलार्थी उसे अपने घर ले गया, जहाँ उसके कपड़े उतार दिए गए तथा अपीलार्थी ने भी अपने कपड़े उतार दिए। इसके पश्चात् उसे लिटाकर अपीलार्थी ने उसके साथ बलपूर्वक संभोग किया। उसने यह भी कहा कि उसने इसका विरोध किया और अपीलार्थी से उसे छोड़ने के लिए कहा, परन्तु अपीलार्थी ने उसे नहीं छोड़ा। उसने यह भी परिसाक्ष्य दिया कि इसके बाद उसकी योनि से रक्तस्राव होने लगा और घटना के पश्चात् अपीलार्थी उसे उसके घर के पास छोड़कर चला गया। कंडिका 3 में उसने कहा कि जब वह अपने घर पहुँची, तो उसकी माँ ने उसके अंतःवस्त्र में रक्त के धब्बे देखे और उसने पूरी घटना अपनी माँ को बताई। उसने अपनी योनि में दर्द होने की भी शिकायत की। माँ ने यह बात उसके पिता को बताई। इसके पश्चात् उसके पिता ने अन्य लोगों को बुलाया और उसे थाना ले जाया गया, जहाँ उसने शिकायत (प्र.पी.-1) दर्ज कराई। उसने स्वीकार किया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके अंतःवस्त्र को जब्त किया गया और इस संबंध में दस्तावेज (प्र.पी.-2) तैयार किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने यह भी कहा कि उसे मनेन्द्रगढ़ चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। पीड़िता के इस साक्ष्य का समर्थन उसकी माता गुलाब बाई (अ.सा.2) ने किया है। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि पीड़िता की आयु लगभग 8 वर्ष थी और वह अपने पति तथा पीड़िता के साथ उक्त रात्रि में अपीलार्थी के ससुराल, छठी समारोह के अवसर पर गई थीं। उस समय अपीलार्थी भी वहाँ उपस्थित था और वह पीड़िता को चिढ़ा रहा था, क्योंकि पीड़िता उसे जीजा कहती थी। भोजन के बाद उन्होंने देखा कि पीड़िता वहाँ नहीं है। तब उन्होंने अपने पति के साथ उसकी तलाश की, परंतु वह नहीं मिली और वे सामान्य रूप से घर लौट आए। कुछ समय पश्चात् लड़की वापस आई और जब उससे पूछा गया कि वह कहाँ थी, तो वह रोने लगी और पूरी घटना बताई। उन्होंने उसके अंतःवस्त्र पर रक्त के धब्बे देखे और तत्पश्चात् यह बात अन्य व्यक्तियों जैसे ओ.पी., गोपाल, पिताम्बर तथा उनके पति के बड़े भाई आदि को बताई गई। उन्होंने भी देखा कि लड़की की योनि से रक्तस्राव हो रहा था। डॉ. श्रीमती पद्मा गुप्ता (अ.सा.3) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उस समय वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मनेन्द्रगढ़ में पदस्थ थीं। पीड़िता को एक प्रार्थना पत्र (प्र.पी.-3) के साथ उनके पास लाया गया, जिस पर उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। चिकित्सक ने न्यायालय में पीड़िता की पहचान भी की, क्योंकि परीक्षण के समय वह उपस्थित थी। उनके अनुसार, लेबिया मिनोरा एवं लेबिया मेजोरा में सूजन थी तथा उनमें सूजन और कोमलता थी। हाइमन फटा हुआ था, जिसके किनारे अनियमित थे और ताजे घाव के समान लाल रंग के थे तथा स्पर्श करने पर रक्तस्राव हो रहा था। वहाँ कोमलता भी पाई गई। पश्च योनि भित्ति में लगभग 1 सेमी का घाव था, जिसमें रक्तस्राव उपस्थित था। योनि में सूजन थी। उन्होंने अभिमत दिया कि ये सभी हालिया यौन संबंध के लक्षण हैं। उन्होंने अपनी शिकायत को प्र.पी.-3 के रूप में सिद्ध किया।

(8) इन साक्षियों के साक्ष्य के विरुद्ध बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कुछ भी तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उनके परिसाक्ष्य अविश्वसनीय ठहराई जा सके। अभियोक्त्री के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यह गुरुत्तर प्रवेशण का मामला था, जिसका उसने सबसे पहले अपनी माता को बताया और तत्पश्चात् उसने 14.09.1989 को तत्काल दर्ज कराई गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन में भी इसका उल्लेख किया। उक्त शिकायत में भी उसने घटना का विस्तृत विवरण दिया है। इतना ही नहीं, महिला चिकित्सक के साक्ष्य से भी यह सिद्ध होता है कि पूर्ण प्रवेश हुआ था तथा बालिका के साथ बलपूर्वक यौन संबंध स्थापित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) अभियोक्त्री के साक्ष्य, जिसे उसकी माता एवं चिकित्सक द्वारा समर्थन प्राप्त है, को अविश्वसनीय क्यों माना जाए? विधि का मूल सिद्धांत यह है कि यौन अपराध की पीड़िता का साक्ष्य एक घायल साक्षी के साक्ष्य के समान महत्व रखता है। जिस प्रकार कोई घायल साक्षी सर्वश्रेष्ठ साक्षी माना जाता है, क्योंकि उसके द्वारा वास्तविक अपराधी को बचाने की संभावना अत्यंत कम होती है, उसी प्रकार यौन अपराध की पीड़िता का साक्ष्य भी अत्यधिक महत्व का होता है, भले ही उसका समर्थन उपलब्ध न हो। इस संबंध में भरवाडा भोगिनभाई हिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य का अवलंब लिया जा सकता है,

जिसका उल्लेख तमिलनाडु राज्य बनाम रवि @ नेहरू में भी किया गया है, जिसमें 4-5 वर्ष की आयु की बलात्कार पीड़िता के मामले पर विचार किया गया था।

(10) अतः यह स्पष्ट है कि जहाँ अभियोक्त्री का साक्ष्य न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करता है, वहाँ उसके परिसाक्ष्य पर भरोसा करने के लिए समर्थन विधि की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल सावधानी के रूप में एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। क्योंकि अनेक कारकों के अतिरिक्त, पीड़िता स्वयं एक घायल साक्षी के समान होती है और सत्य की स्थापना के लिए सर्वोत्तम साक्षी मानी जाती है।

(11) वर्तमान प्रकरण में स्थिति और भी अधिक सुदृढ़ है। अभियोक्त्री के साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर उसके परिसाक्ष्य को अस्वीकार किया जा सके। उसका साक्ष्य स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत हुआ है, जिसमें स्पष्ट एवं निर्विवाद कथन है, जो न्यायालय का विश्वास अर्जित करता है, और बिना किसी अतिरिक्त पुष्टिकरण के भी दोषसिद्धि संभव थी। तथापि, उसके परिसाक्ष्य को चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा विधिवत् समर्थन प्राप्त है, जिससे अभियोजन का मामला और अधिक सशक्त हो जाता है, क्योंकि पूर्ण प्रवेश के संबंध में अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत कथन का समर्थन चिकित्सक द्वारा किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) मैं सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश में कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ। अपील में कोई भी सार नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है।

सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं

यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur